न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1342–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–4–12 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला विदिशा प्रकरण कमांक 246/निगरानी/2010–11.

संजीव कुमार पुत्र श्री शीलचन्द्र जाति जैन
निवासी ग्राम ग्यारसपुर जिला विदिशा ----- आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती रचना पत्नी श्री विजयकान्त पुत्री श्री ओमप्रकाश
निवासी ग्यारसपुर
हाल निवासी ई सीनियर एम आई जी 6,
अरेरा कॉलोनी भोपाल

2– संतोष कुमार पुत्र श्री शिवशंकर
3– श्रीमती गिरजाबाई पत्नी श्री संतोष कुमार
निवासीगण कोर्ट परिसर विदिशा ----- अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. अग्रवाल ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10–3–15 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 2464/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 16–4–12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम औलींजा तहसील ग्यारसपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 13 रकबा 3.23 हैक्टर पर आवेदिका का नामांतरण तहसीलदार, ग्यारसपुर द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 24 आदेश दिनांक 1–9–10 द्वारा किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील की और अपील के साथ धारा 5 एवं अपील अनुमति का आवेदन पेश किया जिसका जबाव अनावोदिका द्वारा दिया गया दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत

एस.डी.ओ. ने धारा 5 अवधि विधान तथा अनुमति का आवेदन स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि वरिष्ठ न्यायालयों ने अवधि विधान के आवेदन का निराकरण करते समय उदार रूख अपनाने संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया हैं । अवधि विधान की धारा 5 का उद्धेश्य पक्षकारों को अपना पक्ष रखकर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करने का उद्धेश्य है । तकनीकि आधारों पर आवेदन निरस्त नहीं किया जाना चाहिए । एस.डी.ओ. ने सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन कर आवेदक को पक्षकार नहीं बनाए जानेएवं उसका कब्जा मानकर विलंब क्षमा कर आदेशपारित किया था जिसे निरस्त करने में अपर कलेक्टर ने त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि वरिष्ठ न्यायालयों ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी संपत्ति में हित रखता है और किसी आदेश के द्वारा उसके हित प्रभावित होते हैं तो वह व्यक्ति अपील करने का अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को अनदेखा कर आदेश पारित किया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदक प्रकरण में एक पक्षीय है ।

5/ आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में मूल भूमिस्वामी की मृत्यु होने पर उसकी पुत्री का नामांतरण एक मात्र उत्तराधिकारी होने के आधार पर किया गया । इस आदेश को आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील में इस आधार पर चुनौदी दी कि उसका कब्जा 1 वर्ष के खसरे में वर्ष 2005–06 में अंकित है । इस कारण वह हितधारी होकर उसको अपील करने का अधिकार है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को स्वीकार कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत अपील में अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश पारित किया है । अपर कलेक्टर ने प्रकरण के तथ्यों को देखकर यह निर्धारित किया कि एक वर्ष के खसरे में कॉलम नं. 20 में कब्जा अंकित होने से आवेदक को अपील करने का अधिकार नहीं मिलता और ना हीवह कब्जे के

आधार पर हितबद्ध पक्षकार बनता है और इस आधार पर उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर कलेक्टर का आदेश औचित्यपूर्ण एवं न्यायिक प्रतीत होता है क्योंकि यह प्रकरण नामांतरण का है और नामांतरण विधिसम्मत प्राप्त अधिकारों के आधार पर होता है । एक वर्ष के कब्जे के आधार कोई भूमिस्वामी के अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अपर कलेक्टर का जो आदेश है वह विधिसम्मत, उचित और न्यायिक होने से उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर